निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों हेतु प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय का विवरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(2) के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12;1द्ध;बद्ध के अन्तर्गत निजी/प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-142 दिनांक 02 अप्रैल, 2012 के अनुसार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्यालयों को एवं निःशुल्क सुविधाओं के सापेक्ष प्रतिपूर्ति व्यय बच्चों को दिया जा रहा है। प्रतिपूर्ति विवरण निम्नवत है-

(1) शिक्षण शुल्क के सापेक्ष विद्यालयों को अधिकतम रू0 1383.00 प्रति बच्चा प्रतिमाह भुगतान आगणित किया गया है। यदि विद्यालय द्वारा उक्त धनराशि से कम शुल्क निर्धारित है तो जो धनराशि न्यून होगी वही धनराशि विद्यालय को प्रतिपूर्ति की जायेगी, अर्थात विद्यालय द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क या रू0 1383.00 प्रतिमाह में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान विद्यालय को किया जायेगा।

(2) निःशुल्क सुविधाओं के सापेक्ष बच्चों को दिये जाने वाली प्रतिपूर्ति का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	निःशुल्क सुविधाएं	अधिकतम धनराशि (रू0)	मासिक/वार्षिक
1	पाठ्य पुस्तक	150.00 (प्राथमिक स्तर) 250.00 (उच्च प्राथमिक)	वार्षिक
2	गणवेश	400.00	वार्षिक
3	मध्याहन भोजन	5.06 (प्राथमिक स्तर) 6.73 (उच्च प्राथमिक)	प्रतिदिन (अधिकतम 230 दिन)

उक्तवत प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि का भुगतान विद्यालयों एवं बच्चों को उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा।